कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

स0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-16/2016-17/

दिनांक: /08/2016

सेवा में,

खण्ड विकास अधिकारी,

क्षेत्र पंचायत, मुनाकोट,

जिला- पिथौरागढ़

विषय : क्षेत्र पंचायत, मुनाकोट का वर्ष 2013-14 से वर्ष 2015-16 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के **भाग 4(ब)-1 में शून्य प्रस्तर, भाग-4 (ब)-2 में 04 प्रस्तर तथा STAN में 02 प्रस्तर** है। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। **भाग -4(ब)-1** के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या **सचिव, पंचायती राज उत्तराखंड शासन**, देहरादून एवं **भाग-4 (ब)-2** के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी **(निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड)** के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2 प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 16/2016-17/ **दिनांक: /08/2016**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।

2- निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड, सहस्त्रधारा मार्ग, आई0टी0पार्क के पास, देहरादून।

3- निदेशक, लेखापरीक्षा (आडिट) निदेशालय, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

4 -जिला पंचायतराज अधिकारी, पिथौरागढ़

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

भाग-एक

वर्ष 2016-17 के लिये क्षेत्र पंचायत मुनाकोट (पिथौरागढ़) पर निरीक्षण प्रतिवेदन

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत पंचायतराज अध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकारी का नाम तथा पदनाम

(i) श्री गजेन्द्र कुमार - अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत

(ii) श्री नीलकण्ठ भट्ट खण्ड़ विकास अधिकारी

(ब) संप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम (i) श्री एस.के त्यागी, व.ले.प.अ.

(ii) श्री पी.एल.शर्मा, स.ले.प.अ.

(iii) श्री मनोहर सिंह, लेखा परीक्षक

(स) संप्रेक्षा तिथि 17.05.2016 से 25.05.2016 तक

(द) संप्रेक्षा में आच्छादित अवधि: 2013-14 से 2015-16 तक

भाग-दो

परिचयात्मक :

1. पंचायतीराज संस्था का नाम : **खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत, मुनाकोट,** जनपद- **पिथौरागढ़**

(अ) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो:-

(ब) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः-

भौगोलिक क्षेत्र: 198 वर्ग किंमी.

जनसंख्या: 46557

2- निर्वाचित सदस्यों की संख्या: 37

3- पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः 10

4- (ब) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठक की संख्या:- बैठक: 06

5- कर्मचारियों की संख्या : 20

6- पंचायतराज की सम्पत्तियां : सभागार एवं आवासीय भवन

7- पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट : -

8- योजनाओं की संख्या :-

9- (अ) सामाजिक संरक्षा

(ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धित: -

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें:-

(द) लाभार्थियों की संख्या:-

10- वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि : -

11- वर्ष के दौरान कुल व्यय : -

(अ) सामान्यः -

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाये) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।

12- क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया है-

भाग-4 (अ)

(क) **परिचयात्मकः** कार्यालय **खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत, मुनाकोट, जनपद-पिथौरागढ़** के लेखा/अभिलेखों की वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक की सम्प्रेक्षा श्री एस. के. त्यागी, व.ले.प.अ. के आंशिक पर्यवेक्षण मे श्री पी.एल. शर्मा, स.ले.प.अ. एवं श्री मनोहर सिंह, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 17.05.2016 से 25.05.2016 तक सम्पादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः-

	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	**प्रस्तर**	**प्रस्तर**
(i) महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर		**भाग4 (ब)-1**	**भाग4 (ब)-2**

- शून्य-

	प्रतिवेदन संख्या वर्ष	**भाग** **प्रस्तरों की संख्या**
(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर	-	
(ग) सतत अनियमितताओं की सूची	-	
(घ) अप्रस्तुत अभिलेख	- अग्रिम पंजिका, निक्षेप पंजिका	

भाग 4(ब)-2

प्रस्तर 1: उत्तराखण्ड़ अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का पालन न कर ` 1.00 लाख से अधिक के कार्य कार्यादेश के माध्यम से कराना।

उत्तराखण्ड़ अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अध्याय 03 नियम 39 के अनुसार बिना निविदा आंमत्रित किये कार्यादेश पर आधारित निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में यह व्यवस्था है कि सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्येक अवसर पर कम से कम तीन पंजीकृत ठेकेदार से कोटेशन प्राप्त कर ` 1,00,000 (एक लाख) तक के कार्य कराये जा सकते है। बिना निविदा आंमत्रित किये कार्यादेश के माध्यम से कार्य केवल आपात स्थिति में कराए जा सकते है जिसके लिए समुचित कारण अभिलिखित किए जाने चाहिए (संशोधित 243/xxxvii(7)/2012 दिनांक 31-08-2012 के अनुसार कार्यदेश के माध्यम से ` 3.00 लाख तक के कार्य केवल आपात स्थिति में कराए जा सकते है) उक्त आदेश का संशोधन दिंनाक 15.08.2015 को करते हुए ` 3.00 लाख तक के कार्यों को तीन कोटेशन प्राप्त कर ही कराया जा सकता है तथा ` 5.00 लाख तक के कार्य आपात स्थिति में कराए जा सकते है। जिसके लिए समुचित कारण अभिलिखित करने होगे।

क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक कराये गये निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि ऐसे 23 कार्य बिना कोटेशन के कार्यादेश पर कराए गए थे जिनकी स्वीकृत लागत ` 2.00 लाख से ` 3.00 लाख थी। कार्यों के सम्पादन में नियमावली के अनुसार अध्याय 02 में दिए गए नियमों के निर्धारित सीमा के अन्दर कार्यपूर्ति के प्रावधानों का पालन नही किया गया था तथा कार्यों के सम्पादन में विलम्ब हुआ । इस प्रकार विभाग द्वारा उत्तराखण्ड आधिप्राप्ति नियमावली 2008 में दिए गए नियमों का पालन नहीं किया गया है जबकि शासन द्वारा नियमावली के पालन हेतु निर्देशित किया जाता है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि भविष्य में नियमावली का पालन किया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नही है क्योंकि कार्यों के सम्पादन में उक्त नियमावली का पालन करने हेतु शासन द्वारा निर्देशित किए जाने के पश्चात भी उल्लंघन करना तथा शासकीय आदेशों का पालन न किया जाना दर्शाता है कि विभाग नियमों का पालन करने के सम्बन्ध में गम्भीर नहीं है।

अतः उत्तराखण्ड आधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियमों का पालन न करने से सम्बन्धित प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)-2

प्रस्तर 2 : दैवीय आपदा के अन्तर्गत धनराशि ` 10.88 लाख का अवरोधन

सामान्यतः योजनाओं की बचत राशि को शासन को वापस कर दिया जाना चाहिए ताकि अवशेष धनराशि का उपयोग अन्य आवश्यक योजनाओं पर जनहित में किया जा सके।

विकास खण्ड के दैवीय आपदा से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाय गया कि उक्त मद के बैंक खाते (SBI Saving A/C NO-11730593065) में 31 मार्च 2016 को ` 14.54 लाख का अवशेष था जिसमें ` 3.66 लाख का ब्याज शामिल था जिसे आय व्यय विवरण 2014-15 में **"अन्य योजना ब्याज"** के अन्तर्गत शामिल किया गया था। शेष ` 10.88 लाख (14.54-3.66 लाख) को अनुदान पंजिका भाग-2 में दिखाया गया था। अभिलेखों की जांच में यह भी संज्ञान में आया कि 31 मार्च 2016 को विकास खण्ड़ में दैवीय आपदा से सम्बन्धित कोई भी कार्य/योजना लम्बित नहीं थी। इस प्रकार, दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत ` 10.88 लाख की राशि निष्प्रोज्य पड़ी हुई थी। उक्त संदर्भित राशि दैवीय आपदा के अन्तर्गत वर्ष 2005-06 से वर्ष 2015-16 तक विभिन्न योजनाओं की बचत राशि थी।

बचत की इस राशि को शासन को वापस न किये जाने के सम्बन्ध में विकास खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि इस राशि को शासन को वापस करने की कार्यवाही की जायेगी।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं था क्योंकि योजनाओं की बचत राशि को सम्बन्धित वर्षों में ही शासन को वापस कर दिया जाना चाहिए था।

अतः दैवीय आपदा के अन्तर्गत धनराशि ` 10.88 लाख के अवरोधन का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग 4(ब)-2

प्रस्तर 3(अ): ` 95.25 लाख के स्वीकृत कार्यों का अपूर्ण रहना।

क्षेत्र पंचायत, मूनाकोट को विभिन्न मदों के अन्तर्गत कार्ययोजनाओं के सम्पादन हेतु ` 95.25 लाख की धनराशि आबंटित की गई थी। जिसके अन्तर्गत वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक कुल 33 कार्य कराये जाने थे। कार्यों का03 से 06 माह के अन्दर पूर्ण कराया जाना अपेक्षित था अभिलेखों की जाँच में पाया गया उक्त 33 कार्यों पर विभाग द्वारा ` 41.30 लाख की धनराशि व्यय करने के पश्चात भी मई 2016 तक कार्य अपूर्ण थे जिसके कारण सम्पूर्ण योजनाओं का लाभ स्थानीय जनता को नही मिल सका था। उक्त कार्यों में सांसद निधि के 03 कार्य अपूर्ण थे जो कि विभाग द्वारा किये गये प्रयासों में शिथिलता को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि द्वितीय किस्त हेतु जिला मुख्यालय को पत्रावली भेज दी गई है तथा धनराशि प्राप्त होने पर अन्तिम माप के बाद कार्यों को पूर्ण कर दिया जायेगा।

उत्तर संतोषजनक नही है क्योकि समय सीमा कार्यों से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण बिन्दु है जिसके पालन कराने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा उचित प्रयास किए जाने का दायित्व है। उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 में भी विलम्ब की दशा में अर्थदण्ड एवं अन्य प्रावधान करने हेतु निर्देशित किया गया है तथा कार्यों के अपूर्ण रहने से विकास कार्यों पर व्यय होने वाली धनराशि में वृद्धि हो सकती है जिसका प्रभाव अन्य योजनाओं पर पड़ सकता है।

अतः ` 95.25 लाख के कार्य अपूर्ण रहने से सम्बन्धित प्रकरण संज्ञान में लाया जाता

भाग 4(ब)-2

प्रस्तर 3(ब):- एस0सी0पी0 मद से कराए गए ` 20.97 लाख का अपूर्ण कार्य

क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2014-15 मे स्वीकृत योजना हेतु समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़ से पत्र स0 2417-21/स0क0/एस0सी0पी0/2015-16 दिनांक 22-07-15 द्वारा **"कनकटिया में बरातघर निर्माण"** हेतु आंवटित धनराशि ` 20.97 लाख से विभाग द्वारा निविदाऐं आमत्रित कर न्यूनतम निविदा के आधार पर ठेकेदार श्री मनोज पाण्डेय को पत्र सं0ज्ञाप/एस0सी0पी0/ कार्यदेश/ 2015-16 दि0 20-07-15 द्वारा स्वीकृत किया गया था। कार्य दिनांक 21-07-2015 से प्रारम्भ कर 20-01-2016 को पूर्ण किया जाना था। सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिनांक 19-01-2016 एवं 06-04-2016 को भुगतान क्रमशः ` 7,57,327 एवं ` 5,00,000 प्राप्त किए गए। परन्तु मई 2016 तक कार्य अपूर्ण था। इस प्रकार कार्य में 04 माह के विलम्ब के पश्चात भी कार्य अपूर्ण था। जबकि निर्माण नियमावली के अनुसार सक्षम अधिकारी समय सीमा का पालन कराने हेतु उत्तरादायी होगें तथा सक्षम अधिकारी अनुबंध के अनुसार अर्थदण्ड एवं ठेका-निरस्त जैसी कार्यवाही कर सकते है। इस प्रकार की कोई कार्यवाही विभाग द्वारा नहीं की गई थी जिसके कारण ` 12,57,327/- की धनराशि व्यय करने के पश्चात भी कार्य अपूर्ण था तथा ` 8,39,673 की धनराशि अवरुद थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर में बताया कि कार्य प्रगति पर है तथा शीघ्र ही पूर्ण करा लिया जायेगा।

उत्तर संतोषजनक नही है क्योंकि अनुदान से सम्बन्धित दिशा-निर्देशों में उक्त कार्य को 02 से 06 माह के अन्दर पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। परन्तु कार्य अपूर्ण रहने से उक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन हुआ है तथा कार्य योजना का लाभ भी स्थानीय जनता को प्राप्त नही हो सका है।

अतः ` 20.97 लाख का कार्य अपूर्ण रहने से सम्बन्धित प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)-2

प्रस्तर 4:- ` 19.88 लाख अर्जित व्याज की धनराशि राजकोष में जमा न करना

उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0 347/वी0आ0(तृ0रा0वि0आ0) 2013 दिनांक 01-04-2013 के अनुसार पंचायत राज संस्थानों जैसे क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायतों को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त धनराशि जैसे राज्य वित्त आयोग, केन्द्रीय वित्त आयोग,सासंद निधि विधायक निधि आदि की धनराशि जो लम्बे समय तक व्यय न होने के कारण बैकों में जमा रहती है तथा जिस पर बैंक से ब्याज अर्जित होता है। उस अर्जित ब्याज की धनराशि को अविलम्ब राजकोष में लेखा शीर्षक 0049 ब्याज प्राप्तियाँ में जमा कराय जाना है अथवा सम्बन्धित विभागों को वापस किया जाना आवश्यक है।

क्षेत्र पंचायत में विभिन्न मदों जैसे विधायक निधि, सांसद निधि, राज्य वित्त इत्यादि से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि उक्त निधियों के तहत दिनांक 31-03-2016 तक प्राप्त धनराशि पर अर्जित ब्याज की धनराशि ` 19,87,695/- राजकोष में जमा नही की गई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि सम्बन्धित धनराशि चालान द्वारा जमा की जाएगी अथवा विभागों को वापस की जाएगी।

उत्तर सन्तोषजनक नही है क्योकि शासन द्वारा निर्गत आदेशों के विपरीत उक्त धनराशि को राजकोष में जमा न करना अथवा विभागों को वापस न करना शासनादेशों का उल्लंघन है।

अतः अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1: बी.ए.ड़ी.पी. योजनान्तर्गत ` 8.98 लाख की बचत राशि का अवरोधन, ब्याज राशि ` 17.85 लाख का अप्रयुक्त रहना, धनराशि ` 61.01 लाख के दायित्वों का लम्बित रहना तथा धनराशि ` 5.69 लाख व्यय के उपरान्त वर्ष 2013-14 में स्वीकृत योजना 'झुलाघाट पेयजल योजना विस्तारीकरण,' का अपूर्ण रहना।

शत-प्रतिशत भारत सरकार द्वारा पोषित योजना **'सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम'** का मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के समीप निवास कर रहे लोगों की विशेष विकासात्मक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति करना है।

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यकक्रम योजना के लेखा अभिलेखों की जाँच में ज्ञात हुआ कि 31 मार्च 2016 को योजना/कार्यक्रम के लेखों में ` 20.39 लाख (2013-14 का शेष ` 1.81 लाख वर्ष, 2014-15 का शेष ` 0.44 लाख, बी.ए.ड़ी.पी. प्रशासिक शुल्क ` 0.29 अर्जित ब्याज `7.85) का शेष था जबकि इसी तिथि को बी.ए.ड़ी.पी. बैंक खातों का शेष ` 39.37 लाख था। इस प्रकार, विकास खण्ड के बैंक खातों में ` 8.98 लाख का अधिक शेष था। बैंक खातों में ` 8.98 लाख की अधिक राशि वर्ष 2005-06 से विभिन्न कार्यों की बचत राशि थी। बचत की इस राशि को विकास खण्ड़ द्वारा शासन को वापिस किया जाना चाहिए था अथवा जिला स्तरीय कमेटी के अनुमोदन उपरान्त स्वीकृत कार्यों पर उपभोग किया जाना था। योजना खाते में अर्जित ब्याज ` 17.85 लाख (मार्च 2016 के अनुसार)के उपभोग हेतु भी विकास खण्ड़ द्वारा कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया था जबकि बी.ए.ड़ी.पी. की दिशा-निर्देशिका (फरवरी 2014) के बिन्दु संख्या 10 में स्पष्ट किया था कि अर्जित व्याज को कार्यक्रम के अन्तर्गत धन का अतिरिक्त स्रोत माना जायेगा जिसे जिला स्तरीय कमेटी द्वारा स्वीकृत कार्यों पर व्यय किया जा सकेगा।

बी.ए.डी.पी. के लेखों की जाँच में तथ्य भी प्रकाश में आया कि विकास खण्ड़ द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में स्वीकृत धनराशि `182.03 लाख (` 138.03 लाख बी.ए.ड़ी.पी. अंश व ` 44.00 लाख मनरेगा अंश) के सभी 28 कार्य मार्च 2016 तक ` 121.01 लाख का व्यय कर पूर्ण कर लिये गये थे। जबकि उक्त तिथि तक संदर्भित कार्यों पर ` 61.01 लाख का व्यय स्वीकृत/लागत राशि से कम किया गया था। जिसमें ` 16.58 लाख शासन से अवमुक्त होने थे, ` 44.00 लाख मनरेगा अंश से समायोजित होने थे व ` 0.44 लाख विकास खण्ड़ के पास अवशेष थे। उपरोक्त सभी कार्य ठेकेदारों द्वारा धनराशि प्राप्ति की प्रत्याशा में पूर्ण किये गये थे। इस प्रकार, विकास खण्ड़ पर वर्ष 2014-15 योजना के ` 61.01 लाख के दायित्व लम्बित थे। इसके अतिरिक्त, विकास खण्ड़ में स्वीकृत धनराशि ` 7.00 लाख की वर्ष 2013-14 ती एक अन्य योजना 'झुलाघाट पेयजल योजना विस्तारीकरण' भी मार्च 2016 तक ` 5.69 लाख का व्यय करने के उपरान्त अपूर्ण थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर विकास खण्ड़ द्वारा तदनुसार कार्यवाही का आश्वासन दिया गया। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि शासन द्वारा निर्गत आदेशों का पालन न करना तथा कार्यों को प्रत्याशा के कार्य कराकर ` 61.01 लाख का दायित्व बढाना विभाग द्वारा कार्यों का अपूर्ण रहना विभाग की शिथिलता दर्शाता है तथा शासनादेशों का उल्लघंन है।

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 2: 12 वें वित्त से संबंधित ` 1.10 लाख की धनराशि को 05 वर्षों तक अवरुद रखना।

क्षेत्र पंचायत द्वारा 12वें वित्त के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 तक प्राप्त कुल अनुदान `7,55,503 को विभिन्न कार्ययोजनाओं पर व्यय किया जाना था परन्तु अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विभाग द्वारा आंबटित धनराशि का उपयोग करते हुए अन्तिम भुगतान के रुप में चैक सं0 866725 दिनांक 09-06-2011 द्वारा ` 12900/- की धनराशि का किया गया था परन्तु उसके पश्चात कोई भी धनराशि व्यय नहीं की गई थी तथा विभाग के पास ` 1,10,203/- की धनराशि लगभग 05 वर्षो से असमायोजित पडी थी। उक्त धनराशि के सम्बन्ध में मई 2016 तक न तो समायोजन की कार्यवाही की गई थी तथा न ही सम्बन्धित विभाग को वापस की गई थी। इस प्रकार उक्त धनराशि अवरुद्ध पडी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि धनराशि सम्बन्धित विभाग को वापस की जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योकि लम्बे समय तक धनराशि का उपयोग न करना तथा अवरुद्ध रखना शासन द्वारा निर्गत निर्देशों का उल्लंघन है तथा वित्तीय अनिमितता है।

अतः धनराशि को अवरुद्ध रखने से सम्बन्धित प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-4, अनुभाग (स)</u>

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति **खंड विकास अधिकारी, क्षे.प.- मूनाकोट, जनपद पिथौरागढ** को इस आशय से प्रेषित की गयी हैं कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड,वैभव पैलेस,सी-1/105,इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करें।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी
स्थानीय निकाय